न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) श्रावस्ती

सत्र परीक्षण संख्या–376/2024

राज्य बनाम सोहन लाल वर्मा उर्फ बड़के आदि

दिनांक–25–08–2025

निस्तारण प्रार्थना पत्र बी–7/1 ता बी–7/5

प्रस्तुत मामला महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बन्धित है। इसलिए पीडिताओं को काल्पनिक नाम से इस प्रकार सम्बोधित किया जायेगा–

ए– पीडिता पत्नी लक्ष्मन प्रसाद गुप्ता को "**सहपीडिता**"

बी– पीडिता पत्नी विभूति प्रसाद गुप्ता को "**पीड़िता**"

अभियुक्तगण सोहनलाल उर्फ बड़के आदि की ओर से प्रार्थना पत्र बी–7/1 ता बी–7/5 मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा–227 दं०प्र०सं० (250 बी०एन०एस०एस०) इस आशय से दिया गया है कि विवेचक द्वारा अभियुक्तगण सोहन लाल उर्फ बड़के, अनूप कुमार वर्मा के विरूद्ध धारा 147, 323, 354 बी0, 452, 504, 506 भा०दं०सं० तथा अभियुक्तगण अरविन्द, पुत्तीलाल व पंकज वर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान सी० जे०एम० महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्वान सी०जे०एम० महोदय श्रावस्ती द्वारा उपरोक्त धाराओं में दिनांक–15.09.2022 को प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् दिनांक–28.03.2024 को अभियुक्तगण सोहनलाल, अनूप कुमार के विरूद्ध धारा 147, 323, 354 बी0, 452, 504, 506, भा०दं०सं० में तथा अभियुक्तगण अरविन्द, पुत्तीलाल, पंकज के विरूद्ध धारा–147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया। मुकदमें में साक्षी पी०डब्लू० 1 सहपीड़िता की मुख्य परीक्षा दिनांक–11.07.2024 को अंकित की गयी तथा अभियुक्तगण के अधिवक्ता महोदय द्वारा 5, 6 लाइन प्रतिपरीक्षा होने के पश्चात् प्रतिपरीक्षा अग्रिम तिथि 24.07.2024 को निश्चित हो गयी थी। उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा पूरी हुये बिना दिनांक–24. 07.2024 को प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त हो गया। दिनांक–07.09.2024 को पी०डब्लू० 2 पीड़िता की मुख्य परीक्षा अंकित होंने के पश्चात् अभियुक्तगण के अधिवक्ता महोदय द्वारा एक पेज प्रतिपरीक्षा हुई थी। उसके पश्चात् उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा हेतु मुकदमें में अग्रिम तिथि दिनांक–17. 09.2024 निश्चित हुई। दिनांक 17.09.2024 को उक्त साक्षी को साक्ष्य प्रतिपरीक्षा हेतु पेश न करके पीड़िता द्वारा मुकदमें में धारा–376 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–362 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर दिया गया। जिस पर विद्वान सी०जे०एम० श्रावस्ती द्वारा अभियुक्तगण

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2025.08.25 16:49:32 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

सोहनलाल, अनूप व अरविन्द के विरूद्ध धारा–376,511 व सपठित धारा 34 भा०दं०सं० की बढोत्तरी का आदेश दिनांक–25.10.2024 पारित कर दिया गया। सहपीड़िता एवं पीड़िता के अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० के बयान में काफी विरोधाभाष है। सहपीड़िता ने बताया कि बड़के वर्मा ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया परन्तु पीड़िता ने अपने बयान 161 व 164 दं०प्र०सं० में बताया कि अनूप वर्मा ने उसके साथ बलात्कार किया। उक्त दोनों कथन एक दूसरे के विरोधाभाषी है। तथा एक दूसरे का समर्थन नहीं करते है जिससे यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को मात्र मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण मुकदमें में झूठा फंसा दिया गया है। दौरान विवेचना स्वतंत्र साक्षीगण प्रहलाद, सत्यराम, पप्पू, गुड्डू, रामधीरज, रामरंग ने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दोनों पक्षों में गाली गलौज के साथ लाठी, डन्डा चलने लगा तथा यह भी कथन किया है कि बलात्कार की बात गलत है तथा बताया है कि अरविन्द, पुत्तीलाल व पंकज घर के दरवाजे के पास खड़े थे। मुकदमें में दौरान विवेचना विवेचक महोदय द्वारा मात्र पीड़िता व सहपीड़िताका मेडिकल कराये जाने का उल्लेख पर्चा नं० 4 में अंकित किया है कि प्रथम सूचिका के घर व परिवार के किसी अन्य सदस्य को कोई चोट उक्त घटना में आना विवेचक महोदय द्वारा नहीं पाया गया है और न ही किसी अन्य व्यक्ति के मेडिकल कराये जाने का कोई उल्लेख दौरान विवेचना केस डायरी में ही किया गया है। दौरान विवेचना डा० रामगोपाल वरिष्ठ परामर्शदाता स्त्री रोग विशेषज्ञ ने अपने अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि सहपीड़िता व पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से दोनों मजरूबों के शरीर पर भी कोई चोट खरोच का निशान तथा सेक्स का होना नहीं पाया गया सभी रिपोर्ट नार्मल है। सहपीड़िता व पीड़िता ने अपने बयान में यह बताया है कि शोर सुनकर इनके जेठ बचाने आये तो बड़के वर्मा ने उन्हें लाठी से मारा परन्तु पीड़िता व सहपीड़िता के जेठ का कोई मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है और न ही जेठ के किसी मेडिकल रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। मुकदमें में गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान सी०जे०एम० महोदय श्रावस्ती द्वारा दिनांक–25.10.2024 को 376, 511 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। दिनांक–18.03.2022 को समय करीब 05 बजे शाम विधानसभा की चुनावी रंजिश को लेकर माता प्रसाद उर्फ करिया, कृष्णा, हेमेन्द्र व अखिलेश पुत्रगण राधिका प्रसाद, राधिका, राजमन, समी, लल्लन, पेशकार, चिन्ता राजाबाबू प्रार्थी अनूप, सोहनलाल, पुत्तीलाल, रामसुहावन, लवकुश को जान से मार डालने के नियत से लाठी, डन्डा, भाला, फर्सा, गड़ासी व कुल्हाड़ी से बुरी तरह मारा पीटा। जिसमें सोहनलाल व अनूप को प्राण घातक चोटे आयी।

अनूप को भाला व लाठी की चोटे आयी तथा अन्य लोगों रामसुहावन, लवकुश, पुत्तीलाल को भी चोटे आयी थी। जिसके सम्बन्ध में अरविन्द वर्मा द्वारा माता प्रसाद उर्फ करिया, कृष्णा, हेमेन्द्र अखिलेश, राधिका, राजमन, समी, लल्लन, पेशकार, चिन्ता व राजाबाबू के विरूद्ध अ०सं०–84/2022 पर अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 307 भा०दं०सं० का मुकदमा दिनांक–19.03.2022 को कोतवाली भिनगा में पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमें से बचने के लिये प्रार्थीगण पर गलत तरीके से दबाव बनाने हेतु पीड़िता व सहपीड़िता द्वारा अपने परिवार के दबाव में झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। मु०अ०सं०–84/2022 उपरोक्त न्यायालय श्रीमान जी पर विचाराधीन है। विवेचना में आये सम्पूर्ण तथ्यों से प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अपराध 147, 323, 354 बी, 452, 504, 506 भा०दं०सं० तथा बढ़ोत्तरी धारा–376, 511 सपठित धारा–34 भा०दं०सं० नहीं बनता है। अभियुक्तगण की परिस्थितियों पर दयापूर्वक विचार करते हुये अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

वादिनी/पीडिता की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध लिखित आपत्ति बी–5 प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अभिकथित किया गया है कि वादिनी ने एक मुकदमा मुकदमा अपराध संख्या–83/2022 धारा–452,376,511,506 भा०दं०सं० थाना कोतवाली भिनगा में पंजीकृत करवाया था। वादिनी ने साथ अनूप वर्मा व अन्य लोगों ने मिलकर घर में जबरदस्ती घुसकर यह अपराध कारित किया था तथा अनूप वर्मा ने वादिनी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था और जब वादिनी के साथ अनूप वर्मा बलात्कार कर रहे थे तो बड़के वर्मा उर्फ सोहनलाल ने वादिनी का हाथ पकड़कर रखा था और बाकी तीन लोग पुत्तीलाल वर्मा, अरविन्द वर्मा व पंकज वर्मा खड़े हंस रहे थे। वादिनी के चिल्लाने की आवाज पर जब वादिनी की जेठानी सहपीड़िता बचाने आयी तो पंकज व अरविन्द ने उसकी साड़ी खोल दी और जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करने लगे। उक्त एफ०आई०आर० दर्ज करवाने के बाद वादिनी व बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० न्यायालय पर दर्ज हुआ। जिस बयान में भी वादिनी ने अपने साथ हुयी बलात्कार की घटना को बताया था। विवेचक ने मात्र अभियुक्तगण को बचाने के उद्देश्य से धारा–376 भा०दं०सं० को विलोपित कर आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित कर दिया। जब विद्वान सी०जे०एम० द्वारा गवाह हेतु समन प्रेशित किया गया तो दिनांक–07–09–2024 को वादिनी का बयान न्यायालय पर हुआ। जिसमें वादिनी ने अपने साथ हुयी पूरी घटना का सशपथ बयान न्यायालय पर दिया। जिसके उपरान्त न्यायालय द्वारा

दिनांक 25–10–2024 को धारा–376,511 भा०दं०सं० सपठित धारा–34 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी करते हुए पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी। विद्वान सी०जे०एम० श्रावस्ती पर हुये बयानों व अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० के बयान के तहत अनूप वर्मा, बड़के उर्फ सोहनलाल के विरूद्ध धारा–376 डी भा०दं०सं० व अभियुक्त पंकज वर्मा व अरविन्द वर्मा के विरूद्ध धारा–376,511 भा०दं०सं० का अपराध प्रथम दृष्टया बन रहा है। जिसमें उल्लिखित धाराओं के साथ आरोप बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए अन्य धाराओं के साथ अभियुक्त अनूप वर्मा व बड़के उर्फ सोहनलाल के विरूद्ध धारा–376 डी भा०दं०सं० एवं पंकज वर्मा व अरविन्द वर्मा के विरूद्ध धारा–376,511 भा०दं०सं० व अन्य सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध सपठित धारा–34 में आरोप बनाये जाने की याचना की गयी है।

मैंने पूर्व तिथि पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल एवं वादिनी के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं तर्कों को दोहराया है और अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है। उक्त के विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादिनी के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति में लिखित तर्कों को दोहराया है और अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध में आरोप विरचित किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट हुआ कि वादिनी सहपीड़िता ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भिनगा को लिखित तहरीर दिनांक–18–03–2022 को इस आशय से दी कि घटना दिनांक–18.03. 2022 समय करीब 05 बजे की है। प्रथम सूचिका सहपीड़िताव पीड़िता आपस में देवरानी व जेठानी है। प्रार्थिनी अपने घर के अन्दर लगे नल पर कपड़ा धुल रही थी। इसी दौरान गांव के ही सोहनलाल वर्मा, अरविन्द कुमार पुत्रगण सुरेन्द्र बहादुर, अनूप कुमार वर्मा, पंकज वर्मा, पुत्तीलाल वर्मा नशे के हालत में प्रथम सूचिका के घर में घुस आये और दोनों लोगों ने घर में पटक कर दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। इसमें प्रार्थिनी (प्रथम सूचिका) के ब्लाउज का बटन टूट गया। प्रथम सूचिका ने जब हल्ला गोहार किया तो शोर पर आस–पास मौजूद गोली व चिन्ताराम आ गये। इन लोगों के आने पर आरोपी अपनी मोटर साईकिल प्रथम सूचिका के घर में ही छोड़कर फरार हो गये जाते समय आरोपी जान माल की धमकी देते हुये मौके से फरार हो गये। प्रथम सूचिका पीड़िता 08 माह की गर्भवती है सहपीड़िता06 माह की गर्भवती है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा धारा–452,376, 511, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दिनांक–19.03.2022 को 00:30 बजे पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना विवेचक महोदय द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 376, 511 आई०पी०सी० का कोई अपराध नहीं पाया मुकदमें में आरोप पत्र विवेचक महोदय द्वारा अभियुक्तगण सोहन लाल उर्फ बड़के, अनूप कुमार वर्मा के विरूद्ध धारा 147, 323, 354 बी0, 452, 504, 506 आई०पी०सी० तथा प्रार्थीगण अरविन्द, पुत्तीलाल व पंकज वर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 आई०पी०सी० के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान सी०जे०एम० महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया।

न्यायालय श्रीमान सी०जे०एम० महोदय श्रावस्ती द्वारा उपरोक्त धाराओं में दिनांक–15.09.2022 को प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् दिनांक–28.03.2024 को प्रार्थी सोहनलाल, अनूप कुमार के विरूद्ध धारा 147, 323, 354 बी0, 452, 504, 506 भा०दं०सं० में तथा अभियुक्तगण अरविन्द, पुत्तीलाल, पंकज के विरूद्ध धारा–147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया।

पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 के बयान के पश्चात वादिनी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–323 दं०प्र०सं० धाराओं की बढ़ोत्तरी हेतु प्रस्तुत किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक–25–10–2024 को उक्त प्रार्थना पत्र का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करते हुए अभियुक्तगण सोहनलाल वर्मा उर्फ बड़के वर्मा, अनूप कुमार वर्मा व अरविन्द कुमार के विरूद्ध धारा–376/511 सपठित धारा–34 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। बादहू विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त पत्रावली दिनांक–29–11–2024 को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी।

सहपीड़िता ने विवेचक को दिये बयान में बताया है कि "दिनांक 18.03.2022 को समय करीब शाम चार बजे (होली का दिन) मैं, **मेरी जेठानी होली खेल रहे थे तथा मेरी देवरानी (पीड़िता) वहीं पर कपड़े धो रही थी**। तभी अचानक से मेरे गेट पर मोटर साइकिल से बड़के वर्मा पुत्र अज्ञात, अनूप वर्मा पुत्र अज्ञात, पंकज वर्मा पुत्र अज्ञात, पुत्तीलाल वर्मा पुत्र अज्ञात, महेश वर्मा पुत्र अज्ञात निवासी सेमरी चकपिहानी थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती आये तथा मेरे गेट में मोटर साइकिल से टक्कर मारने लगे और गाली देकर गेट खोलने के लिए कहने लगे। मुझे गुस्सा आया तो मैनें गेट खोल दिया। वह सभी लोग घर के अन्दर आ गए। **अनूप वर्मा ने मुझे पकडा तथा मेरी साड़ी खोल दी और मेरा शरीर दिखने लगा।** ***बड़के वर्मा ने मेरी देवरानी पीड़िता के साथ बलात्कार***

किया । बाकी तीनों लोग गेट पर खड़े थे। हम लोग चिल्लाने लगे तो शोर सुनकर मेरे जेठ वहाँ आ गए और हम लोगो को बचाने लगे। बड़के वर्मा ने मेरे जेठ को एक लाठी मारी। शोर सुनकर गाँव के अन्य लोग भी आ गए। तब उपरोक्त लोग अपनी मोटर साइकिल वहीं पर छोड़कर भाग गए। मैं पढ़ी लिखी नही हूँ। मैं 07 माह की गर्भवती हूँ तथा मेरी देवरानी पीड़िता 09 माह की गर्भवती है।"

पीड़िता ने विवेचक को दिये बयान में बताया है कि "दिनांक 18.03.2022 को समय करीब शाम चार बजे **मैं अपने बच्चों के कपड़े धो रही थी**। तभी अचानक मेरे ही गांव के अनूप वर्मा पुत्र अज्ञात, बड़के वर्मा पुत्र अज्ञात, पुत्तीलाल वर्मा पुत्र अज्ञात, अरविन्द वर्मा पुत्र अज्ञात, पंकज वर्मा पुत्र अनोखी वर्मा मोटर साइकिल पर सवार होकर मेरे घर के बाहर आये और मेरे घर के गेट में मोटर साइकिल से टक्कर मारने लगे तथा गाली देकर गेट खोलने के लिए कहने लगे। मोटर साइकिल से मेरे गेट पर कई बार टक्कर मारी, तो मैनें गेट खोला। गेट खुलते ही सभी लोग मोटर साइकिल लेकर घर के अन्दर आ गए। अनूप वर्मा तथा बडके वर्मा मुझसे कहने लगे कि मेरे साथ होली खेलो तो मैनें होली खेलने से मना कर दिया। अनूप वर्मा ने अपनी जेब से गुलाल निकाला और जबरन मुझे गुलाल लगाने लगे। मैंने गुलाल लगवाने से इन्कार किया तो **अनूप वर्मा ने मुझे जमीन पर गिरा दिया और खुद मेरे उपर आ गए और मेरे ब्लाऊज की बटन तोड़ दी, जिससे मेरा ब्लाऊज फट गया। अनूप वर्मा ने मेरे साथ बलात्कार किया।** *बड़के वर्मा ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे।* बाकी लोग भी वहीं खड़े होकर हंस रहे थे। शोर सुनकर मेरी दीदी वहां पर आ गई वो मुझे बचाने का प्रयास करने लगी। उसके बाद मेरी दो ननद व जेठ मौके पर आ गए और मुझे बचाने लगे। बड़के वर्मा ने मेरे जेठ को दो चार लाठी मारी। शोर सुनकर मेरे परिवार के अन्य लोग व गाँव के अन्य लोग वहां पर आ गए। जिसके बाद वे सभी लोग वहां से भाग गये। मैं नौ माह की गर्भवती हूँ। मैं बारवीं तक पढ़ी हूँ।"

सहपीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० में बताया है कि "मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, परंतु हस्ताक्षर बना लेती हूँ। घटना होली के दिन की है, तारीख याद नहीं है। घटना शाम के 4:00 बजे की है। **मैं और मेरी ननद होली खेल रहे थे। घर के अंदर होली खेल रही थी। पीड़िता घर के बाहर द्वारे पर कपड़ा धो रही** थी। पंकज वर्मा, बड़के वर्मा, अनूप वर्मा, पुत्तीलाल वर्मा और पांचवे का नाम याद नहीं है, पर मैं चेहरा पहचानती हूँ, मेरे घर आए। पंकज और अनूप मोटरसाइकिल से और बाकी लोग पैदल आए थे। पंकज और बड़के ने पीड़िता को गाली दिया। दोनों लोग नशे में थे। पीड़िता ने गेट खोला तो अनूप और बड़के अंदर आ गए और बाकी के तीन लोग गेट के पास ही खड़े थे। **अनूप ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और बड़के ने पीड़िता का बलात्कार किया**। बड़के ने पैंट और

शर्ट पहन रखी थी। उस समय बाकी के तीन लोग गेट पर खड़े होकर हंस रहे थे। पीड़िता और मैं चिल्ला रहे थे तो गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए तो बड़के ने पीड़िता को छोड़ दिया। मैंने अपनी आंखों से बड़के को पीड़िता का बलात्कार करते देखा था। फिर **पंकज और अरविंद ने मुझे पकड़ लिया। पंकज ने मेरी साडी खोल दी और मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगा**। उसी समय मेरे जेठ आ गए (पिंकी के पति)। अरविंद ने मेरा मुंह और हाथ पकड़ रखा था। मेरे जेठ बचाने आए तो अरविंद वर्मा ने उनको लाठी से सर पर मारा। किसी के बुलाने पर घटना के बाद पुलिस वहां पहुंची तो सभी अभियुक्तगण भाग गए। पुलिस ने मुलजिमानों की खड़ी मोटरसाइकिल की जांच पड़ताल की तो गाड़ी के डिक्की में एक कट्टा मिला जिसे पुलिस वालों ने डिक्की से निकाला। डिक्की में दारू और नमकीन भी रखा था। पांचवें व्यक्ति का नाम अरविंद था। पंकज ने मेरी साड़ी खोल दी थी। जिससे मैं सबके सामने नंगी हो गई थी और मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। सभी पांचों लोग मेरे देवर जिसका नाम करिया है को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर मेरा देवर उन्हें अभी मिल जाए तो उसे दाग देंगे मेरा देवर गांव का कोटेदार है।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० में बताया है कि "घटना होली वाले दिन की है। घटना 18/3/22 की है घटन शाम 4:00 बजे की है। **मैं कपड़े अपने गेट के अंदर धुल रही थी**। अनूप, बड़के, पंकज, अरविंद, पुत्तीलाल मेरे घर के बाहर आए। बाइक से 2 लोग आए थे और 3 लोग पैदल थे। सभी लोग गेट पर टक्कर मारने लगे। अनूप और बड़के मुझे गाली दे रहे थे की मादरचोद गेट खोल नहीं तो तोड़ दूंगा। मैं घबरा गई और गेट खोल दी। जैसे ही मैंने गेट खोला तो पांचों लोग अंदर घुस गए अनूप ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि मेरे साथ होली खेलो। मैंने मना किया तो **अनूप ने मुझे जमीन पर गिरा दिया अनूप ने मेरा ब्लाउज फाड़ दिया और मेरे साथ बलात्कार किया**। अनूप ने पेंट और टीशर्ट पहन रखा। मेरे साथ लगभग 10–15 मिनट तक बलात्कार होता रहा। **बड़के ने मेरा था मेरा हाथ पकड़ रखा था** बाकी के तीन लोग गेट के अंदर खड़े होकर हंस रहे थे। घटना के बाद कई लोग आए। पुलिस घटना के बाद आई थी। पुलिस ने जांच की थी। पुलिस ने डिक्की से एक पोटली बरामद की थी क्या था नहीं पता ऐसा लगता था कि कोई हथियार रखा है। डिक्की में दारू और नमकीन रखा था। पूछने पर कहा कि मैं 9 माह की गर्भवती हूं और मेरे साथ जघन्य अपराध हुआ है।

विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय में पी०डब्लू०–1 के रूप में **सहपीडिता** का बयान अंकित किया गया है। जिसमें उसने बताया है कि घटना के समय वह अपने ननद के साथ घर के अन्दर होली खेल रही थी। उसकी देवरानी **पीडिता घर के बाहर कपड़े धो रही थी**। अभियुक्तगण सहअभियुक्तगण के साथ **बड़के वर्मा, अनूप**

वर्मा नशे की हालत में घर में घुस आये और उसकी देवरानी पीडिता के साथ बलात्कार करने लगे। *अभियुक्तगण पंकज व अरविन्द ने उसकी/साक्षी की साड़ी खोल दी* । फिर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तब तक उसके जेठ आ गये।

पी०डब्लू०–2 के रूप में **पीडिता** ने विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय में यह बयान दिया है कि घटना दिनांक को **वह अपने घर के अन्दर गेट के अन्दर कपड़े धो रही थी** तभी अभियुक्तगण आये और गेट खुलते ही घर में घुस आये फिर **अनूप ने** उसे जबरिया पकड़ लिया और होली खेलने के लिए कहने लगा। जब उसने मना किया तो **उठाकर जमीन पर पटक दिया तथा उसका बलाउज फाड़कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया**। **बड़के ने उसका हाथ पकड़ रखा था**। बाकी तीन लोग पास खड़े होकर हंस रहे थे। उसके चिल्लाने पर उसकी **जिठानी बचाने आयी तो अभियुक्त पंकज व अरविन्द ने उसे पकड़कर उसकी साड़ी खोल दी और बलात्कार करने की कोशिश की**। लोगों के आ जाने पर वह भाग गये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **मो० आसिफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 (58) ए०सी०सी० 938(एस०सी०)** सुसंगत है, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि उन्मोचन के प्रक्रम पर साक्ष्यों का गइराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप, को देखना होता है। इसी प्रकार **उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ पाण्ढा 2003 (46) ए०सी०सी० 471 सु० को०** भी सुसंगत है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है कि आरोप लगाये जाने की अवस्था पर परीक्षण न्यायालय को परीक्षणयुक्त जांच करने अथवा संक्षिप्त परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इस अवस्था पर इस न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मात्र यह देखना है कि अभियुक्त के विरूद्ध मामला जारी रखने का साक्ष्य पर्याप्त है, अथवा नहीं? अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के गुणदोष के आधार पर विवेचना किये जाने की इस स्तर पर आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त बयानात एवं एफ०आई०आर० के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीडिता ने बिना किसी विरोधाभाष के प्रत्येक स्तर पर यह स्पष्ट बयान दिया है कि घटना के समय वह घर के गेट के पास कपड़े धो रही थी और अभियुक्त अनूप ने उसके साथ बलात्कार किया तथा बड़के वर्मा ने उसका हाथ पकड़ा। सहपीडिता के बयान में अवश्य विरोधाभाष दृष्टिगत होते हैं और उसने विभिन्न स्तर पर अलग–अलग प्रकार से घटना घटित होना बताया है। ऐसी परिस्थिति में सहपीडिता के

बयान की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह् लग सकता है और उसकी उपस्थिति घटनास्थल पर भी संदेह के घेरे में आ सकती है। परन्तु इस तथ्य से पीडिता के साथ घटित घटना पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। बलात्कार के मामलों में मुख्य साक्षी स्वयं पीडिता होती है और पीडिता का साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य की श्रेणी में आता है। साक्षीगण की विश्वसनीयता की परीक्षा पूर्ण विचारण के उपरान्त ही निष्कर्षित की जा सकती है।

जहाँ तक चिकित्सीय साक्ष्य से पीडिता के साथ घटित घटना का समर्थन न होने का प्रश्न है तो यह विचारण के समय साक्ष्य पूर्ण हो जाने के बाद ही विचार में लिये जाने वाला तथ्य है। पीडिता के चिकित्सकीय परीक्षण में कोई चोट न आना इस आशय का निश्चायक साक्ष्य नहीं है कि उसके साथ बलात्कार की घटना घटित नहीं हुयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय विस्तृत रूप से पीडिता व सहपीडिता के बयानों का विश्लेषण करते हुये यह निष्कर्ष भी अंकित किया है कि साक्षियों के बयान में विरोधाभाष होने के बावजूद भी पत्रावली में अभी सम्पूर्ण साक्ष्य आना व विचारण शेष है। पत्रावली पर आरोप विचरित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के दृष्टिगत अभियुक्तगण की ओर से दिया गया उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–227 दं०प्र०सं० (धारा–250 बी०एन०एस०एस०) निरस्त किये जाने योग्य और अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन की कार्यवाही किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–7/1 ता बी–7/5 खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 08–09–2025 को पेश हो। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की दशा में जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक–25–08–2025

(निर्दोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) श्रावस्ती।